वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 23.02.2025

चार अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से शनिवार को 25 बीघे की चार अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। इसके साथ ही दो अवैध निर्माण सील किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार नगवा वार्ड में देवनाथ व अन्य की ओर से लठिया में 10 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। रामनगर वार्ड के बखरा मुगलसराय में महेश सिंह व अन्य की ओर से 7 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। नोटिस के बाद भी काम कराने पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। मुगलसराय में अज्ञात की ओर से 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। नोटिस के बाद काम कराने पर प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। मुगलसराय के करवत में 5 बीघे में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। भेलूपुर वार्ड के नवाबगंज में अजीम असरफ के अवैध निर्माण को सील किया गया। मुगलसराय के करवत में सत्यम चौबे की ओर से बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। उधर, रिंग रोड किनारे पांच अवैध निर्माण सील किए गए। चार को नोटिस भी दिया गया। उपाध्यक्ष के मुताबिक, शिवपुर और दशाश्वमेध क्षेत्र में एक निर्माणाधीन व्यावसायिक लॉन सहित कुल पांच अवैध निर्माण सील कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 23.02.2025

वीडीए ने 25 बीघा की अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त

लठिया में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करता वीडीए का बुलडोजर • प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास-प्राधिकरण ने शनिवार को कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने जगह-जगह कार्रवाई कर कुल 25 बीघा प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई वार्ड-नगवां के अन्तर्गत देवनाथ व अन्य के द्वारा मौजा- लठिया में बन रही प्लाटिंग थी। वीडीए के बुंलडोजर ने लगभग 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहां बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसी प्रकार रामनगर में महेश सिंह व अन्य के द्वारा मौजा बखरा में लगभग 7 बीघा में अवैध प्लाटिंग की गई थी। इन्हें नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नोटिस दी गई थी।

बावजूद इसके नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने पर प्लाटिंग तोड़ी गई। मुगलसराय में मौजा-कुंडा में भी लगभग तीन बीघा और जयपुरियां स्कूल के पीछे करवत में लगभग पांच बीघा की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 23.02.2025

25 बीघा की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

VARANASI (22 Feb): विकास प्राधिकरण ने शनिवार को कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. वीडीए की प्रवर्तन टीम ने जगह-जगह कार्रवाई कर कुल 25 बीघा प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया. इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई वार्ड- नगवां के अन्तर्गत देवनाथ व अन्य के द्वारा मौजा- लठिया में बन रही प्लाटिंग थी. वीडीए के बुलडोजर ने लगभग 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया. वहां बिना ले-आउट पास कराए अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. इसी प्रकार रामनगर में महेश सिंह व अन्य के द्वारा मौजा बखरा में लगभग 7 बीघा में अवैध प्लाटिंग की गई थी.

हिन्दुस्तान–दि0 23.02.2025

वीडीए ने पड़ाव क्षेत्र के बखरा, कुंडा और करवत में की कार्रवाई

15 बीघे जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग किया ध्वस्त

पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा अंतर्गत धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग चल रही है। वीडीए की प्रवर्तन टीम अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई भी कर रहा है लेकिन इसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

शनिवार को वीडीए की प्रवर्तन टीम ने पड़ाव क्षेत्र के बखरा, कुंडा और करवत गांव में 15 बीघे भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। वीडीए की कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली मच गयी।

वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव अधीनस्थों के साथ क्षेत्र के बखरा, कुंडा, करवत गांव के सिवान में पहुंचे। जहां अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनियों में बने प्लॉटों की बाउंड्री वाल को जमींदोज किया गया। वीडीए की इस कार्रवाई से कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि उक्त कालोनियां बिना नक्शा और लेआउट पास कराए अवैध तरीके से विकसित की जा रही थी। जहां कॉलोनाइजरों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27 के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई थी। साथ ही आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। साथ ही मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण की ओर से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

पड़ाव क्षेत्र के बखरा कुंडा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराते वीडीए के अधिकारी।

हिन्दुस्तान–दि0 23.02.2025

सात अवैध निर्माण सील किये गए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शनिवार को रिंग रोड के किनारे मैरिज लॉन समेत सात अवैध निर्माण सील किये। तथा चार भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया। रिंग रोड के किनारे शिवपुर और दशाश्वमेध वार्ड के क्षेत्रों में अभियान के दौरान यह कार्यवाही की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, सौरभ देव प्रजापति आदि मौजूद रहे। इसके अलावा चंदौली के करवत में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण करने पर भवन को सील किया गया।

न्यायाधीश–दि0 23.02.2025

वाविप्रा जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई सील की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत अजीम असरफ भवन सं0- 26/293, नवाब गंज के सटे, थाना-भेलूपुर जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये (ऊ1) पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा मे सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार ,अवर अभियंता सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 23.02.2025

वीडीए का कई अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए जोन-चार की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। नगवां वार्ड के अंतर्गत देवनाथ व अन्य के द्वारा आराजी संख्या-555, मौजा-लठिया, थाना-रोहनिया में लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये की जा रही थी, जिस पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। उक्त अवैध प्लाटिंग को शनिवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ जोन पांच की प्रवर्तन टीम ने रामनगर के अन्तर्गत महेश सिंह व अन्य के द्वारा आराजी संख्या-61, 55, 52, 48 मौजा- बखरां, थाना-मुगलसराय में लगभग सात बीघा में अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये की जा रही थी जिसे ध्वस्त किया गया।इसी प्रकार जोन-पांच की प्रवर्तन टीम ने मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत अज्ञात के द्वारा मौजा- कुंडा, थाना-मुग़लसराय में लगभग तीन बीघा में अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये की जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन पांच की प्रवर्तन टीम ने मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत मौजा-करवत, जयपुरिया स्कूल के पीछे थाना-मुगलसराय में लगभग पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये की जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 23.02.2025

वीडीए ने सील किये कई अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए जोन चार वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत अजीम असरफ नवाब गंज के सटे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण करने पर सील की कार्यवाही की गयी। वहीं दूसरी तरफ जोन-पांच मुगलसराय के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। वार्ड मुग़लसराय के अंतर्गत सत्यम चौबे, मौजा- करवत थाना- मुगलसराय जिला-चंदौली में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर सील की कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार रंग रोड के किनारे पांच अवैध निर्माण को सील किया गया एवं चार के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया।